

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1961

30 , 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या : 1961
चिकित्सा महाविद्यालयों में रैगिंग

1961. श्रृंखला संख्या :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

() क्या चिकित्सा महाविद्यालयों और अन्य चिकित्सा संस्थाओं में मेडिकल छात्रों के अमानवीय व्यवहार और निमग्न मौतों की घटनाओं से अवगत है ;

() यदि हाँ, तो चिकित्सा महाविद्यालयों के दौरान तत्संबंधी चिकित्सा महाविद्यालय- / संस्था - / - ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी शिकायत प्राप्त हुई है;

() क्या चिकित्सा महाविद्यालयों और अन्य चिकित्सा संस्थाओं में कथित रैगिंग को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

—

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार)

(क) और (ख): पिछले पाँच वर्षों में पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा प्राप्त कथित रैगिंग घटनाओं की संख्या

(ग) और (घ): चिकित्सा कॉलेजों में रैगिंग के खतरे को नियंत्रित करने के लिए सरकार/एनएमसी द्वारा निम्नलिखित कदम

- एमसीआई ने केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन पर चिकित्सा महाविद्यालयों (चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थाओं) में, 2009 अधिसूचित किया। ये विनियम रैगिंग की घटनाओं को रोक कर देश के सभी चिकित्सा कॉलेजों और संस्थानों में रैगिंग के सभी प्रकारों के उन्मूलन और रैगिंग में लिस लोगों को इन विनियमों के प्रावधानों और लागू उपयुक्त कानून के माध्यम से दण्डित करने का प्रावधान करते हैं।

- ii. पूर्ववर्ती एमसीआई और एनएमसी प्रति वर्ष सभी चिकित्सा कॉलेजों को कॉलेज में एंटी रैगिंग समिति के गठन सूचना प्रस्तुत करने, सूचित रैगिंग के मामलों का ब्यौरा देने एवं उन पर कोई भी कारवाई के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक परिपत्र भेजते हैं।
- iii. कॉलेजों को कहा गया है कि वे अपनी प्रवेश विवरणिकाओं/प्रोस्पेक्टस/बुकलेट्स में एंटी रैगिंग के संबंध में सूचना प्रदान करें।
- iv. इसके अलावा, कॉलेजों को कॉलेज, अस्पताल एवं छात्रावासों के सभी संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने और चिकित्सा कॉलेजों/छात्रावासों के विभिन्न हिस्सों में एंटी रैगिंग पोस्टर तथा होर्डिंग लगाने के संबंध में यह भी सलाह दी गई है कि वे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक छात्र और प्रत्येक माता-पिता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन शपथ पत्र प्रस्तुत किया
- vi. एनएमसी ने एक पोर्टल भी तैयार किया है जहाँ छात्र रैगिंग से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

-वार प्राप्त रैगिंग मामलों को स्थिति

१ (2016-17)

क्र. .		प्र स हु
1	१ १	त्रों - १ 17/11/2016
2	-	श्री , कुरनूल के पत्र दिनांकित शून्य
3	र	द - १ 20.11.2016
4	र ट्यू र , श्व	१ - - १ 04.01.2017
5		र ज विर्लापग
6	६	त्र १ 11.05.2017 त्र
7	७	श्री प्र , त्र - १ 14.03.2017
8	१ इंस्टीट्यूट	-रैगिंग हेल्पलाइन १ 10.04.2017
9	६	१ १ १ त्र
10	र	१ के पत्र के तहत प्रथम वर्ष के छात्रों के अभि १
11	यूपी ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं	श्री प्र १ 15.07.2017 त्र
12	श्री र	श्री सिंह ने दिनांक 21.07.2017
13	त्त	श्री अनिरुद्ध १ 24.07.2017

f (2017-18)

क्र. .		प्र स ह
1	ध त	श्रं ि 19.8.2017
2		ि ल वीडियोग्राफोईमेल दिनांक 26.08.2017
3	गवनमट मेडिकल	बेनामी पत्र दिनांक 19.08.2017
4	ो स	श्रं द्वे - ि 4.09.2017
5	स	(- ि) - ि 12.09.2017
6		श्रं - ि 17.09.2017
7		श्रं श्रं - ि 17.9.2017
8	त्रै स ि	श्रं श्रं ओं - ि 17.09.2017
9	श्रं ि स ि त ज स ि क्षे ि र क्षे को रैगिंग	श्रं ि क्षे , ि , श्रं ि त्र ि त्र

10	एंड रिसच इंस्टीट्यूट,	श्री त्रे , पत्र दिनांक 14.10.2017
11	स ट्यू	किल्पाग दिनांक 24.10.2017
12	यूपी ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं स ,	1 त्र 2017 13.10.2017 त्र
13	स , स	के पत्र के तहत रैगिंग किए गए छात्रों द्वारा
14	श्री मेडिकल रिसच स ट्यू ,	श्री त्रि 27.10.2017
15	श्री स र स त्रि विज्ञान संस्थान,	श्री श्री मनोज कुमार के पत्र दिनांक शून्य
16	, त्र	के दिनांक शून्य
17	श्री स र स त्रि विज्ञान संस्थान,	श्री य , त्रि 16.11.2017
18	, स	2016 बैच के छात्रों का दिनांक 04.12.2017
19	श्री श्व इंस्टीट्यूट ऑफ स	श्री . व त्रि स त्रि
20	ल , मंडियम्बक्कम ,	प्र एमबीबीएस छात्रों के स 15.11.2017
21	स	-पिता / भाजपा कायकता स 28.11.2017 त्र

22		केन्द्रीय सरकार के माध्यम से श्री प्रवीण कुमार f 27.12.2017 त्र
23	सट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री,	f 02.02.2018 को यूजीसीके पत्र से प्राप्त।
24	यूपी ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं स , ,	f 19.2.2018 त्र 2017 एमबीबीएस छात्र श्री विकास सरोज से
25		त्रं f 06.04.2018 त्र

१ (2018-19)

क्र.		प्रसङ्ग
1	रु	प्रथम वर्ष के एमबीबीएस छात्रों के माता-पिता 30.08.2018
2	विज्ञान	श्री 2016 07.09.2018
3	विज्ञान	श्री 06.08.2018
4		श्री 01.10.2018
5	यूपी ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं	श्री 25.9.2018
6	आयुर्विज्ञान एवं	प्र 23.09.2018
7		एमबीबीएस छात्रों के माता-पिता ने पत्र दिनांकित शून्य
8	द्वि	रु (प्र) 13.11.2018
9	संस्कृत	श्री 23.11.2018
10	श्री ६ आयुर्विज्ञान	प्र - १

11	,	श्री अरोड़ा के पिता श्रीरितेश अरोड़ा के दिनांक 19.3.2019 त्र
12	,	प्रजा f 10.06.2019 त्र
13	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान स , ,	f 1.7.2019 -

1 (2019-20)

क्र.		प्रसङ्ग
1	ग्र. विज्ञ. सं. _____	सं. 2019 वि.
2	सं. सं. सं.	13.08.2019 वि. वीडियोग्राफी पत्र से।
3		सदर के माध्यम से प्राप्त वि. 28.8.2019
4		सं. वि. 30.08.2019
5	चिकित्सा महाविद्यालय	वि. वि. 23.08.2019
6	आयुर्विज्ञान संस्थान,	वि. वि. 26.11.2019

क्र.		सं शिकायत प्राप्त हुई
1.		
2.	ह	f
3.	ह	
4.	ह ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च,	
5.	f ज ह , ह ,	
6.	उत्तर प्रदेश ग आयुर्विज्ञान एवं ह	श्रेष्ठ अग्रवाल
7.		
8.	, f	
9.	,	.
10.	दिल्ली	सुरद्र सिंह झाला
11.	हॉस्पिटल, चैन्नई	ब्र प रु